न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

दर्ज तिथि 05.03.2021

वाद संख्या :– 01/59

1. कैलाश पुत्र श्री हीरा जाति माली निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर। (मृतक)
   1/1 पुरण पुत्र कैलाश
   1/2 शंकर पुत्र कैलाश
   1/3 गोपाल पुत्र कैलाश
   1/4 विमल पुत्र कैलाश
   1/5 प्रेमदेवी पत्नि कैलाश
   समस्त वारीसान वयस्क जातियान माली निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी–अलवर।

2. सुक्खा उर्फ सुक्का पुत्र हीरा जाति माली निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी–अलवर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. जग्गू पुत्र हीरा
2. झब्बू पुत्र पांच्या
3. पप्पू पुत्र पांच्या
4. बद्री पुत्र पांच्या
5. बाबूलाल पुत्र पांच्या
6. मदन पुत्र पांच्या
7. मन्नालाल पुत्र चेतराम
8. शिम्भू पुत्र चेतराम
9. सुल्तान पुत्र चेतराम समस्त व्यस्क जातियान माली निवासीयान दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला–अलवर।
10. चौथमल पुत्र चेतराम समस्त व्यस्क जातियान माली निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला–अलवर।
11. उप पंजीयक थानागाजी जिला अलवर।
12. कृष्णा पुत्री मूला पत्नि चौथमल।
13. विमला पुत्री मूला पत्नि नाथूराम उम्र व्यस्क जाति माली निवासी हाल नई कोठी

– असल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

ग्राम रूडल तहसील आमेर जिला–जयपुर।

14. मन्नी पत्नि मूला
15. लाला पुत्र हीरा
16. महेन्द्र पुत्र मूला
17. प्रहलाद पुत्र मूला
18. संतोष पुत्र मूला समस्त व्यस्क जातियान माली निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला–अलवर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

19. तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी तह0 थानागाजी–अलवर।

– तकमीली प्रतिवादी

तथा

वाद पत्र संख्या 1/60 **दिनांकः–05.03.2021**

1. जग्गू पुत्र हीरा उम्र 62 साल जाति माली निवासी चीमा की ढाणी ग्राम दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र हीरा जाति माली
2. लाला पुत्र हीरा जाति माली
3. सुक्का पुत्र हीरा जाति माली
4. गोपाल पुत्र कैलाश जाति माली
5. पूरण पुत्र कैलाश जाति माली
6. शंकर पुत्र कैलाश जाति माली
7. नाथूराम पुत्र सुक्का जाति माली
8. भागचन्द पुत्र सुक्का जाति माली

सभी बालिग निवासी चीमा की ढाणी ग्राम दुहारचौगान

असल प्रतिवादीगण

9. कृष्णा पुत्री मूला जाति माली
10. प्रहलाद पुत्र मूला जाति माली
11. बिमला पुत्री मूला जाति माली
12. मन्नीदेवी पत्नि स्व0 मूला जाति माली
13. महेन्द्र पुत्र मूला जाति माली
14. संतोष पुत्र मूला जाति माली
15. चौथमल पुत्र चेतराम जाति माली
16. मन्ना पुत्र चेतराम जाति माली
17. शिम्भू पुत्र चेतराम जाति माली
18. सुलतान पुत्र चेतराम जाति माली
19. झब्बू पुत्र पांचा जाति माली
20. पप्पू पुत्र पांचा जाति माली
21. बद्री पुत्र पांचा जाति माली
22. बाबूलाल पुत्र पांचा जाति माली
23. मदन पुत्र पांचा जाति माली

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

सभी बालिग निवासीयान शीभा की ढाणी ग्राम दुहारचौगान तहसील थानागाजी
जिला अलवर राजस्थान
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी
जिला अलवर राजस्थान
अलवर सेन्ट्रल को0 बैंक थानागाजी जरिये शाखा प्रबन्धक
बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थानागाजी जरिये शाखा प्रबन्धक

— तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः— श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः— श्री मनीष कुमार जैन।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188 राज0 काश्त0 अधि—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

—:पर्चा डिक्रीः—

निर्णय तिथिः— 13.12.2022

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा व डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता संख्या 502 खसरा संख्या 1403 रकबा 0.01 है0, 1404 रकबा 1.39 है0, 1417 रकबा 1.10 है0, 1457 रकबा 0.62 है0 कुला किता 04 कुला रकबा 0.12 है0 वाकै ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस नीचे अंकित तालिका अनुसार तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टियां दर्ज कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।

	खातेदार का नाम	खसरा नम्बरान	रकबा
01	1. कैलाश, लाला, सुक्खा, जग्गु पुत्रान हीरा हिस्सा 4/5 जाति माली साकिन देह खातेदार 2. प्रहलाद महेन्द्र पुत्रान मूला कृष्णा, विमला पुत्रीयान मूला जाति माली हिस्सा 1/5 साकिन देह खातेदार - *बाकी इंद्राज बदस्तूर*	1404/1, 1457/2, 1417/3 कुल किता 03	0.10 है0, 0.03 है0, 0.05 है0, कुल रकबा 0.18 है0 [illegible] और [illegible] रास्ता
02	1. चौथमल, मन्नालाल, शिम्भु, सुलतान पुत्रान चेतराम जाति माली हिस्सा— 1/2 साकिन देह खातेदार	1403, 1404/2, 1457/8,	0.01 है0, [illegible] है0, 0.40 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kum Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

04	2. झब्बू, पप्पू, बद्री, बाबूलाल, मदन, पुत्रान पांच्या जाति माली हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार *बाकी इंद्राज बदस्तूर* 1. लाला पुत्र हीरा जाति माली सा0देह खातेदार	1417/12 कुल किता 04 1404/3, 1417/6, 1457/5 कुल किता 03	0.73 है0 कुल रकबा 2.04 है0 0.075 है0, 0.064 है0, 0.034 है0 कुल रकबा 0.173 है0
05	1. सुक्का पुत्र हीरा जाति माली सा0देह खातेदार	1404/4, 1457/4, 1417/8 कुल किता 03	0.08 है0, 0.034 है0, 0.044 है0, कुल रकबा 0.158 है0
06	1. जग्गू पुत्र हीरा जाति माली साकिन देह खातेदार	1404/5, 1457/7, 1417/5 कुल किता 03	0.08 है0, 0.034 है0, 0.054 है0 कुल रकबा 0.168 है0
07	1. कैलाश पुत्र हीरा जाति माली साकिन देह खातेदार	1404/6, 1457/3, 1417/7 कुल किता 03	0.08 है0, 0.034 है0, 0.064 है0 कुल रकबा 0.178 है0
08	1. प्रहलाद, महेन्द्र, संतोष पुत्रान मूला कृष्णा पुत्री मूला मन्नी पत्नि मूला जाति माली साकिन देह खातेदार *बाकी इंद्राज बदस्तूर*	1404/7, 1457/6, 1417/4 कुल किता 03	0.075 है0, 0.034 है0, 0.064 है0 कुला रकबा 0.73 है0
09	1. सुक्का पुत्र हीरा हिस्सा 2/3 2. जग्गू पुत्र हीरा हिस्सा 1/3 जातियान माली साकिन देह खातेदार	1417/1 कुल किता 01	0.03 है0 कुल रकबा 0.03 है0
	1. कैलाश, लाला, सुक्का, जग्गू पुत्रान हीरा हिस्सा 4/15 2. प्रहलाद, महेन्द्र, संतोष पुत्रान मूला कृष्णा, विमला पुत्रीयान मूला, मन्नी पत्नि मूला हिस्सा 1/15 3. चौथमल, मन्नालाल, शिम्बू, सुलातान पुत्रान चेतराम हिस्सा 1/3 4. झब्बू, पप्पू, बद्री, बाबूलाल, मदन पुत्रान पांच्या हिस्सा 1/3 जाति माली साकिन देह खातेदार *बाकी इंद्राज बदस्तूर*	1457/1 कुल किता 01	0.02 है0 कुला रकबा 0.02 है0 किस्म– गैर मुमकिन नाला

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kuma Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि गण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा कर बेदखल नहीं करे ा ही किसी प्रकार के कब्जे–काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करे तथा शक्ल आराजी ना बदले।

पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 13.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर व मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी
जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

बाद संख्या :– 01/59/2023 दर्ज तिथि 05.03.2021

1. कैलाश पुत्र श्री हीरा जाति माली निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर। (मृतक)
1/1 पुरण पुत्र कैलाश
1/2 शंकर पुत्र कैलाश
1/3 गोपाल पुत्र कैलाश
1/4 विमल पुत्र कैलाश
1/5 प्रेमदेवी पत्नि कैलाश
समस्त वारीसान वयस्क जातियान माली निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी–अलवर।

2. सुक्खा उर्फ सुक्का पुत्र हीरा जाति माली निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी–अलवर।

– वादीगण

बनाम

1. जग्गू पुत्र हीरा
2. झब्बू पुत्र पांच्या
3. पप्पू पुत्र पांच्या
4. बद्री पुत्र पांच्या
5. बाबूलाल पुत्र पांच्या
6. मदन पुत्र पांच्या
7. मन्नालाल पुत्र चेतराम
8. शिम्भू पुत्र चेतराम
9. सुल्तान पुत्र चेतराम समस्त व्यस्क जातियान माली निवासीयान दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला–अलवर।
10. चौथमल पुत्र चेतराम समस्त व्यस्क जातियान माली निवासीयान दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला–अलवर।
11. उप पंजीयक थानागाजी जिला अलवर। – असल प्रतिवादीगण
12. कृष्णा पुत्री मूला पत्नि चौथमल।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

13. विमला पुत्री मूला पत्नि नाथूराम उम्र व्यस्क जाति माली निवासी हाल नई कोठी ग्राम रूडल तहसील आमेर जिला–जयपुर।
14. मन्नी पत्नि मूला
15. लाला पुत्र हीरा
16. महेन्द्र पुत्र मूला
17. प्रहलाद पुत्र मूला
18. संतोष पुत्र मूला समस्त व्यस्क जातियान माली निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला–अलवर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

19. तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी तह0 थानागाजी–अलवर।

– तकमीली प्रतिवादी

तथा

वाद पत्र संख्या 1/60 **दिनांकः–05.03.2021**

1. जग्गू पुत्र हीरा उम्र 62 साल जाति माली निवासी चीमा की ढाणी ग्राम दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र हीरा जाति माली
2. लाला पुत्र हीरा जाति माली
3. सुक्का पुत्र हीरा जाति माली
4. गोपाल पुत्र कैलाश जाति माली
5. पूरण पुत्र कैलाश जाति माली
6. शंकर पुत्र कैलाश जाति माली
7. नाथूराम पुत्र सुक्का जाति माली
8. भागचन्द पुत्र सुक्का जाति माली

सभी बालिग निवासी चीमा की ढाणी ग्राम दुहारचौगान

असल प्रतिवादीगण

9. कृष्णा पुत्री मूला जाति माली
10. प्रहलाद पुत्र मूला जाति माली
11. बिमला पुत्री मूला जाति माली
12. मन्नीदेवी पत्नि स्व0 मूला जाति माली
13. महेन्द्र पुत्र मूला जाति माली
14. संतोष पुत्र मूला जाति माली
15. चौथमल पुत्र चेतराम जाति माली
16. मन्ना पुत्र चेतराम जाति माली
17. शिम्भू पुत्र चेतराम जाति माली
18. सुलतान पुत्र चेतराम जाति माली
19. झब्बू पुत्र पांचा जाति माली
20. पप्पू पुत्र पांचा जाति माली
21. बद्री पुत्र पांचा जाति माली
22. बाबूलाल पुत्र पांचा जाति माली
23. मदन पुत्र पांचा जाति माली

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

सभी बालिग निवासीगान चीमा की ढाणी ग्राम दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

24 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

25 अलवर सेन्ट्रल को0 बैंक थानागाजी जरिये शाखा प्रबन्धक

26 बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थानागाजी जरिये शाखा प्रबन्धक

– तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– श्री मनीष कुमार जैन।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188 राज0 काश्त0 अधि–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

:– निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 13.12.2022

1. आज यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय पेश हुआ। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 502 हाल खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.01 है0, 1404 रकबा 1.39 है0, 1417 रकबा 1.10 है0, 1457 रकबा 0.62 है0, कुल किता 04 कुल रकबा 3.12 है0 वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त संयुक्त आराजीयात में वादी कैलाश का 1/15 हिस्सा, वादी सुक्का का 1/15 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी लाला का 1/15 हिस्सा, तर0 प्रतिवादी महेन्द्र का 1/90 हिस्सा तर0 प्रतिवादी प्रहलाद का 1/90 हिस्सा तर0 प्रतिवादी संतोष– का 1/90 हिस्सा तर0 प्रतिवादी कृष्णा का 1/90 हिस्सा तर0 प्रतिवादी विमला का 1/90 हि0 तर0 प्रतिवादी मन्नीदेवी का 1/90 हि0 है। उक्त संयुक्त आराजीयात् अविभाजित आराजी है एवं आज तक विधिक तकासमा नही हुआ है। असल प्रतिवादीगण मिन वादीगण की कब्जे काश्त हिस्से रकबे काश्त में आये दिन रूकावट वो महजाहमत पैदा करते है। जिससे वादीगण की अपने हिस्सा आराजी के कब्जे काश्त करना मुश्किल हो गया है तथा शामलात में असल प्रतिवादीगण के साथ काश्त करना संभव नही है। अंत में निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री तकसीम आराजीया[illegible] जावे कि संयुक्त आराजीयात् को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी [illegible]सीम की जाकर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का अपने [illegible] पृथक किया जावे एवं उक्त हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में [illegible]मद कराया [illegible] साथ ही प्रतिवादीगण असल को वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवा[illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की ओर से बाद विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

मील होने के उपरान्त कोई प्रतिनिधि/अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर कोई एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बाद विधिवत तामील असल प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता द्वारा न्यायालय उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। असल प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा में अभिकथन किया गया कि तनाजा आराजीयात् हम प्रतिवादीगण व वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमे वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज चला आता है और मौके पर वादीगण एव प्रतिवादीगण ने अपने बुजुर्गान के समय से ही यानि अर्सा करीब से बाहमी बटवारा कर रखा है तथा सभी हिस्सेदारान ने अपने--अपने हिस्से में मकानात रिहायशी बनाकर परिवार सहित निवास करते है तथा सभी ने अपनी सुविधा के अनुसार कुएं/बोरिंग, कुण्डे आदि बना रखे है एवं बाकी अपने- अपने हिस्से की बची हुई आराजी में काबिज होकर कृषि काश्त करते आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि मौके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण जहां पर काबिज है और उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं उसी के अनुसार सभी हिस्सेदारान का रास्ता कायम करते हुए विधिक तकासमा कर दिया जावें। हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र एतराज या आपत्ति नहीं है।

3. उपस्थित पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष अवगत कराया गया कि न्यायालय हाजा में एक अन्य राजस्व वाद जग्गू बनाम कैलाश मु0 नं0 1/60/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत विचाराधीन है। उक्त विचाराधीन वाद में समान पक्षकारान एवं समान–विवादित आराजीयात् तथा समान अनुतोष वर्णित है। उक्त अन्य वाद को इस राजस्व वाद के साथ हमफिता (कन्सोलिडेट) किया गया तथा उभय वादपत्रों पर दावा हस्ब वकुलाय प्रारम्भिक डिक्री किये जाने पर सहमति दी गई।

4. न्यायालय द्वारा उपस्थित शेष तरतीबी प्रतिवादीगण अधिवक्ता एवं वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण अधिवक्तागण द्वारा दी गई सहमति के आधार के पर अन्य राजस्व वाद जग्गू बनाम कैलाश को इस राजस्व वाद के साथ कन्सोलिडेट किया जाकर पक्षकारान के मौका– कब्जानुसार संयुक्त आराजीयात् पर प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से विभाजन–प्रस्ताव मय नक्शा– ट्रेस तलब किया गया। तहसीलदार थानागाजी द्वारा न्यायालय आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/357 दिनांक 29.03.2022 की पालना में अपने पत्रांक/भू0अ0/2022/8474 दिनांक 17.11.2022 के द्वारा विभाजन– प्रस्ताव मय नक्शा– ट्रेस प्रस्तुत कर उभय पक्षकारान की उपस्थित में मौका एवं कब्जानुसार तैयार कर प्रेषित किया जो कि शामिल पत्रावली किया गया।

5. प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण अधि[illegible] दौराने बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा संलग्न कुर्रेज[illegible] मय नक्शा–ट्रेस के अनुसार पक्षकारान के मध्य संयुक्त [illegible] अनुसार विभाजन किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

6. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता संख्या 502 वाकै ग्राम दुहार चौगान के अंकित इंद्राज से संयुक्त आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी के आराजी होना साबित है। तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट से भी वकुलाय पक्षकारान सन्तुष्ट एवं सहमत है। वकुलाय पक्ष ने

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस अनुसार दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. प्रकरण में तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी निवेदित किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्त्वपूर्ण बिन्दु है जिनका विवेचन इस प्रकार है:–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जा:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। अतः बाद तकसीम हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर अपने स्वयं के पृथक खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर अपने स्वयं के पृथक खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। *अतः स्थाई निषेधाज्ञा की प्रथम शर्त पुष्ट होती है।*

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलन:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। अतः बाद तकसीम हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर अपने स्वयं के पृथक खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर अपने स्वयं के पृथक खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है। *अतः स्थाई निषेधाज्ञा की द्वितीय शर्त पुष्ट होती है।*

तृतीय– अपूरणीय क्षति:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। अतः बाद तकसीम हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर अपने स्वयं के पृथक खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर अपने स्वयं के पृथक खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्प[illegible] *तृतीय शर्त पुष्ट होती है।*

8. अतः हाल सह–काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक[illegible] खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी प[illegible] नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने [illegible] पाबंद किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि–

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खाता संख्या 502 खसरा संख्या 1403 रकबा 0.01 है0, 1404 रकबा 1.39 है0, 1417 रकबा 1.10 है0, 1457 रकबा 0.62 है0, कुल रकबा 3.12 है0, वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिकी किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

	खातेदार का नाम	खसरा नम्बरान	रकबा
01	1. कैलाश, लाला, सुक्खा, जग्गु पुत्रान हीरा हिस्सा 4/5 जाति माली साकिन देह खातेदार 2. प्रहलाद महेन्द्र पुत्रान मूला कृष्णा, विमला पुत्रीयान मूला जाति माली हिस्सा 1/5 साकिन देह खातेदार *बाकी इंद्राज बदस्तूर*	1404/1, 1457/2, 1417/3 कुल किता 03	0.10 है0, 0.03 है0, 0.05 है0, कुल रकवा 0.18 है0 किस्म– गैर मुमकिन रास्ता
02	1. चौथमल, मन्नालाल, शिम्भु, सुलतान पुत्रान चेतराम जाति माली हिस्सा– 1/2 साकिन देह खातेदार 2. झब्बू, पप्पू, बद्री, बाबूलाल, मदन, पुत्रान पांच्या जाति माली हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार *बाकी इंद्राज बदस्तूर*	1403, 1404/2, 1457/8, 1417/12 कुल किता 04	0.01 है0, 0.90 है0, 0.40 है0, 0.73 है0, कुल रकबा 2.04 है0
03	1. लाला पुत्र हीरा जाति माली सा0देह खातेदार	1404/3, 1417/6, 1457/5 कुल किता 03	0.075 है0, 0.064 है0, 0.034 है0 कुल रकबा 0.173 है0
04	1. सुक्का पुत्र हीरा जाति माली सा0देह खातेदार	1404/4, 1457/4, 1417/8 कुल किता 03	0.08 है0, 0.034 है0, 0.044 है0, कुल रकबा [illegible]
05	1. जग्गू पुत्र हीरा जाति माली साकिन देह खातेदार	1404/5, 1457/7, 1417/5 कुल किता 03	0.08 है0, [illegible] है0 0.054 है0 कुल रकबा 0.168 है0
06	1. कैलाश पुत्र हीरा जाति माली साकिन देह	1404/6,	0.08 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

	खातेदार	1457/3, 1417/7 कुल किता 03	0.034 है0, 0.064 है0 कुल रकबा 0.178 है0
07	1. प्रहलाद, महेन्द्र, संतोष पुत्रान मूला कृष्णा पुत्री मूला मन्नी पत्नि मूला जाति माली साकिन देह खातेदार *बाकी इंद्राज बदस्तूर*	1404/7, 1457/6, 1417/4 कुल किता 03	0.075 है0, 0.034 है0, 0.064 है0 कुला रकबा 0.73 है0
08	1. सुक्का पुत्र हीरा हिस्सा 2/3 2. जग्गू पुत्र हीरा हिस्सा 1/3 जातियान माली साकिन देह खातेदार	1417/1 कुल किता 01	0.03 है0 कुल रकबा 0.03 है0
09	1. कैलाश, लाला, सुक्का, जग्गू पुत्रान हीरा हिस्सा 4/15 2. प्रहलाद, महेन्द्र, संतोष पुत्रान मूला कृष्णा, विमला पुत्रीयान मूला, मन्नी पत्नि मूला हिस्सा 1/15 3. चौथमल, मन्नालाल, शिम्बू, सुलातान पुत्रान चेतराम हिस्सा 1/3 4. झब्बू, पप्पू, बद्री, बाबूलाल, मदन पुत्रान पांच्या हिस्सा 1/3 जाति माली साकिन देह खातेदार *बाकी इंद्राज बदस्तूर*	1457/1 कुल किता 01	0.02 है0 कुला रकबा 0.02 है0 किस्म– गैर मुमकिन रास्ता

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे और ना ही किसी प्रकार के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहतम पैदा करें तथा शक्त मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(केशव कुमार मीना, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी
जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:27 IST
Reason: SelfAttested